सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 12, सोमवार, शाके 1943-अक्टूबर 04, 2021

Asvina 12, Monday, Saka 1943- October 04, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

संख्या प.30(2)गृह-9/2018 :-यतः इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.11.2019 के द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के चक 8, 9, 10, 11, 12 एलएलजी में भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत सामाजिक समाघात अध्ययन किये जाने हेतु एजेंसी नियुक्त की गई थी परन्तु कोविड-19 की आपवादिक स्थिति के कारण सामाजिक समाघात अध्ययन का कार्य नियत समय में नहीं हो पाया।

और यतः राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात तहसील सादुलशहर के चक 8, 9, 10, 11, 12 एलएलजी में रक्षा विभाग के Storage of ammunition (आयुध भंडारण) हेतु भूमि अधिग्रहण करने के क्रम में निम्न भूमि का अर्जन किये जाने का आशय रखती है:-

क्र सं.	ग्राम/चक का नाम	मु.न./प.न.	निजी भूमि (हैक्टेयर में)		कुल भूमि (हैक्टेयर में)
			नहरी	बारानी	
1	8 LLG	52,53,70 से 73,90 से 93, 106 से 109, 113	12.906	75.238	88.144
2	9 LLG	6 से 11, 16 से 21	43.756	0.886	44.642
3	10 LLG	18 से 60	203.72	46.564	250.284
4	11 LLG	6 से 9, 20 से 23, 34 से 37, 46 से 49	98.745	0.000	98.745
5	12 LLG	2	2.759	0.000	2.759
		कुल निजी भूमिः–	**361.886**	**122.688**	**484.574** (है.)

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु एजेन्सी डा. उपेन्द्र के सिंह, मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव, Centre for Development Communication & Studies, 133 देवीनगर, नन्नू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड जयपुर को नियुक्त करती है।

उक्त एजेन्सी डा. उपेन्द्र के सिंह, मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव, Centre for Development Communication & Studies, 133 देवीनगर, नन्नू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड जयपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि से प्रभावित गांवों/चकों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों/चकों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों/चकों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपतियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों/चकों में संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ किया जावेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-
सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु एजेन्सी
डा. उपेन्द्र के सिंह, मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव,
Centre for Development Communication & Studies,
133 देवीनगर, नन्नू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।